"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 26, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (सीजी:1997), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मान. मुख्य मंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक ई-1-7/2004/एक/2.—श्री दिलीप कुमार वासनीकर, भा.प्र.से. (सीजी: 2002) उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नियंत्रक, नापतौल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-5/2010/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा, संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये अनुसार नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन-2010 हेतु मंगलवार दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 को मतदान के लिए उपरोक्त परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 03 में दर्शाये गए क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट "क"

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	नगरीय निकाय नाम (3)
1.	दुर्ग	नगर पालिक निगम, भिलाई
		नगरपालिका परिषद्, भिलाई चरौदा
		नगरपालिका परिषद्, जामुल
		नगर पंचायत, मारो
		नगर पंचायत, चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14 तथा 15
		नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा का रिक्त वार्ड क्रमांक-07
2.	रायपुर	नगरपालिका परिषद्, बीरगांव
3.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, खैरागढ़
4.	बीजापुर	नगर पंचायत, भैरमगढ़
		नगर पंचायत, भोपालपट्टनम
		नगर पंचायत, बीजापुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-12
5.	कबीरधाम	नगर पंचायत, पंडरिया का रिक्त वार्ड क्रमांक 04
6.	बस्तर	नगर पंचायत, बस्तर रिक्त वार्ड क्र. 12
		नगर पंचायत, विश्रामपुरी
7.	सरगुजा	नगर पंचायत, प्रेमनगर
8.	कांकेर	नगर पंचायत, नरहरपुर
9.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, कोंटा
10.	कोरिया	नगरपालिका परिषद्, शिवपुरचरचा

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-1/2010/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग के मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अधीन कार्यरत् श्री नटवर लाल वर्मा, मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक को मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100/-+ग्रेड पे 5400/- में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06-10-2010 में की गई अनुशंसा के आधार पर पदोन्नत किया जाकर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय), छ. ग., रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रशासनिक दृष्टि से श्री आर.बी.शुक्ला, अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल दुर्ग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों सहित, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के जारी नवीन स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 के अनुसार विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा (पश्चिम) के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3555 को दिनांक 16-10-2010 से दिनांक 15-01-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्रमांक-एफ 7-45/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गुण्डरदेही, निवेश क्षेत्र, जिला दुर्ग का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची
गुण्डरदेही निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खर्रा, कचान्दुर, धर्मी, देवरी, साजा की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम साजा, भेंडरा, मचौद, टेकापार, खलारी की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम खलारी, खुटेडी, रंगकठेरा, चैनगंज, चिचदगोंदी की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चिचलगोंदी, बधमर्रा, खर्रा की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक

एफ 10-30/2010/16, दिनांक 01-10-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा.

(ii) विलोपित.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, दिनांक 01-10-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा.

(ii) विलोपित.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-30/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, दिनांक 01-10-2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की हो.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा.

(ii) विलोपित.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-34/2010/16.—राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की भाग-क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों के दर प्रदेश में तीन स्तर में प्रभावशीलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को निम्नानुसार 3 श्रेणी में वर्गीकरण किये जाने के संबंध में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-22/2010/16, दिनांक 18-08-2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इस संबंध में संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् न्यूनतम वेतन अधिनियम के 45 अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी प्रभावशीलन हेतु प्रदेश को निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित करते हुए वर्गवार क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन से अधिक विशेष वेतन निम्नानुसार प्रभावशील होगा :–

वर्गीकरण सूची

क्र. (1)	शहर/क्षेत्र की श्रेणी (2)	स्थान का नाम (3)	वर्गीकरण के कारण प्रस्तावित बिन्दु (4)
1.	(अ)	रायपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र तक. नया रायपुर, नगर पालिका बीरगांव, उरला, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र.	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 20/– रु. अधिक विशेष वेतन.
2.	(ब)	भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम एवं नगर निगम सीमा से 08 किलोमीटर तक का क्षेत्र. धमतरी, भिलाई–चरोदा नगर पालिका एवं नगर पालिका सीमा से 05 [illegible].	प्रचलित न्यूनतम वेतन से प्रतिदिन 10/– रु. अधिक विशेष वेतन.
3.	(स)	वर्ग "अ" एवं "ब" छोड़कर शेष प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र	प्रचलित न्यूनतम वेतन

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-22/2010/16.—राज्य शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के भाग–क में उल्लेखित अधिसूचित नियोजनों में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने के संबंध में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-22/2010/16, दिनांक 18-08-2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इस संबंध में संपूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अधिनियम की धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् न्यूनतम वेतन अधिनियम के भाग–क में 33 अधिसूचित नियोजनों के स्थान पर निम्नांकित 45 अधिसूचित नियोजनों का प्रकाशन करता है.

अधिसूचित नियोजनों की सूची

क्र. (1)	नियोजन का नाम (2)
1.	पावर प्लांट में नियोजन
2.	स्टील प्लांट में नियोजन
3.	स्पंज आयरन प्लांट में नियोजन
4.	रोलिंग मिल में नियोजन
5.	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्री में नियोजन
6.	सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन

(1)	(2)
7.	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
8.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
9.	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10.	पत्थर पीसने एवं तोड़ने में नियोजन
11.	ईट भट्ठा में नियोजन
12.	चूना भट्टा में नियोजन
13.	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परंतु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन.
14.	पाटरीज जिसमें रिफेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान निर्माण में नियोजन.
15.	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16.	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों में नियोजन
17.	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18.	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19.	वन उपज एवं वन लगाने तथा नर्सरी में नियोजन
20.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21.	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट या नाट्यगृह में नियोजन
22.	शैक्षणिक संस्थान या निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन
23.	हास्पीटल, नर्सिंग होम, पैथालाजी लैब में नियोजन
24.	विक्रय संवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25.	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26.	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27.	साल्वेंट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28.	किसी तेल मिल में नियोजन
29.	केमिकल्स या फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30.	हमाल, तौलैया, कुली, रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32.	किसी मुर्रा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33.	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेशनरी, आईस्क्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है या पेयक निर्माण में नियोजन.
34.	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35.	किसी आरा मिल/वुड वर्क में नियोजन
36.	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37.	फ्यूल कोक में नियोजन
38.	पावरलूम (जिसमें सायजिग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है) में नियोजन
39.	कोसा उद्योग में नियोजन
40.	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41.	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42.	बोन मिल में नियोजन
43.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44.	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45.	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 की परिभाषा अनुसार चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-33/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना, 2010" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष 1000 राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जावेगा.

(iii) राजमिस्त्री प्रशिक्षण में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा.

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ 10-33/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माणी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 2010" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों को मण्डल द्वारा जो बीपीएल कार्डधारी नहीं होंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष रुपये 30,000/- चिकित्सा सहायता, परिवार के मुखिया, उसकी पत्नि एवं 03 संतान को प्रदाय करने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रदाय किया जावेगा.

उल्लेखित चिकित्सा लाभ गरीबी रेखा के व्यक्तियों के लिए प्रभावशील राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदत्त चिकित्सा लाभ की भांति होगा.

(iii) एपीएल के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर होने वाले व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा

(iv) योजना के प्रावधान दिनांक 17-09-2010 से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है.

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का कार्डधारी न हो.

(स) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त सहायक श्रमायुक्त/उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(द) (i) प्रदेश में बीपीएल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है. अतः एपीएल निर्माणी श्रमिकों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग ही होगा.

(ii) बीपीएल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिस बीमा कंपनी को प्रति व्यक्ति के मान से अनुबंधित किया जावेगा वही एपीएल निर्माणी श्रमिकों के लिए भी मान्य होगा.

(य) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक/एफ-10/1/2006/9.—छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खेल के क्षेत्र में, विशेषकर तीरंदाजी खेल (आरचरी) में राज्य के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करके राज्य का गौरव बढ़ाया है, उन्हें खेल के क्षेत्र में राज्य को दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से "महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान" देने का निर्णय लिया है तथा समसंख्यक क्रमांक दिनांक 24 अक्टूबर 2006 से इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम की अधिसूचना जारी की गई है. उक्त नियम में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-3/2005/1/5, दिनांक 17 अप्रैल, 2007 की निर्देशानुसार संशोधन कर समसंख्यक क्रमांक दिनांक 22-09-2007 द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. उक्त नियम में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 10-53/2009/1/5, दिनांक 07 दिसंबर 2009 के निर्देशानुसार संशोधन कर निम्नानुसार परिवर्धन किया जाता है.

नियम 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

3. **सम्मान का स्वरूप**

(1) महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्रतिवर्ष एक खिलाड़ी को दिया जा सकेगा. प्रत्येक अलंकरण में राशि रुपये एक लाख नगद, अलंकरण फलक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.

(2) अ.— यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

ब.— यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो, तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्रमांक 4169 एफ-8/4/1/2010-11/14-2.—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के प्रशासनिक अनुमोदन क्रमांक 13011/02/2008-Credit-II (Pt.) दिनांक 17-09-2010 द्वारा दिए गए अधिकार को प्रयोग में लाते हुए मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कि अंतर्गत रायपुर जिले के निम्नलिखित रबी फसल के लिए संलग्न अनुसूची के अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

1. निम्नलिखित फसलों को अधिसूचित किया गया है :—
   1. गेहूं सिंचित 2. गेहूं असिंचित 3. चना

2. सभी फसल के लिये अधिसूचित क्षेत्र तहसील के सामने दर्शायी गई ग्राम पंचायत होगी. सभी फसल के लिये अधिसूचित क्षेत्र रायपुर जिले का तहसील के सामने परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है.

3. इस योजना में ऋणी किसान, अऋणी किसान, बटाईदार एवं काश्तकार किसान भी भाग ले सकते हैं. ऋणी किसान अनिवार्य रूप से एवं अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से भाग ले सकते हैं.

4. 1-10-2010 से 31-12-2010 तक अधिसूचित फसल के लिए अनुमोदित ऋण राशि रबी 2010-11 मौसम के लिये कवर की जाएगी.

5. अऋणी किसान एवं अनुमोदित ऋण राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिए बीमा करने की अंतिम तिथि 31-12-2010 होगी.

6. जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से अधिसूचित फसल की ऋण राशि का बीमा इस मौसम में किया जाएगा.

7. **बीमित राशि :—**
   (अ) अनिवार्य रूप से लिए गए ऋण राशि को कवर किया जाएगा.
   (ब) किसान अगर चाहे तो थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक कवर कर पाएगा.
   (स) उससे अतिरिक्त वास्तविक उपज का 150% मूल्य तक भी बीमा कर पाएगा.

8. बीमित राशि निम्नानुसार होगी :—

फसल का नाम	बीमित राशि (रु. प्रति हेक्टर)
गेहूं सिंचित	15000
गेहूं असिंचित	10000
चना	15000

9. प्रीमियम दर, प्रीमियम अनुदान, क्षतिपूर्ति स्तर :—

फसल	क्षतिपूर्ति स्तर	प्रीमियम दर	प्रीमियम अनुदान	किसान द्वारा देय प्रीमियम
चना	80%	7.5%	50%	3.75%
गेहूं सिंचित	80%	4.5%	40%	2.7%
गेहूं असिंचित	80%	8.5%	50%	4.25%

10. प्रीमियम अनुदान में आधा हिस्सा केन्द्र शासन एवं आधा हिस्सा राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा.

11. मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू होने के कारण रायपुर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू नहीं है.

12. मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सेवा कर लागू नहीं होगी.

13. **बैंक सर्विस चार्जेस :**—सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी किसान के लिए 2.5% बैंक सर्विस चार्जेस प्रदान किया जाएगा.

14. **आंकड़े देने की अंतिम तिथि :**— रबी 2010-11 मौसम के लिए मौसम का आंकड़े देने की अंतिम तिथि फसल कटाई के 1 महिने के बाद या 15 जुलाई, 2011 होगी.

15. निम्न समय सारणी के अनुसार बैंकों को घोषणा पत्र बीमा कंपनी को देना होगा.

अक्टूबर माह में अनुमोदित ऋण 30 नवम्बर, 2010 तक देना होगा.
नवम्बर माह में अनुमोदित ऋण 31 दिसम्बर, 2010 तक देना होगा.
दिसंबर माह में अनुमोदित ऋण 31 जनवरी, 2011 तक देना होगा.

16. ऋणी एवं अऋणी किसान के लिए घोषणा पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2011 है.

17. KCC द्वारा दिए गए ऋण राशि में रबी मौसम के लिए अनुमोदित ऋण राशि को कवर किया जाएगा.

18. प्रीमियम राशि "Axis Bank—Raipur Account Number 139010200002301, Agriculture Insurance Company of India Limited" के नाम से रायपुर (Raipur) पर देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को पायलट आधार पर रबी वर्ष 2010 में क्रियान्वित करने संबंधी अधिसूचित किये जाने वाले फसलवार ग्राम पंचायत/ग्रामों की संख्या

क्र.	जिला	तहसील	गेहूं सिंचित		गेहूं असिंचित		चना		योग	
			ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	रायपुर	रायपुर	23	28	0	0	20	23	43	51
		तिल्दा	0	0	0	0	43	56	43	56
		अभनपुर	0	0	0	0	20	21	20	21
		आरंग	17	29	0	0	43	68	60	97
		सिमगा	51	82	0	0	30	54	81	136

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		भाटापारा	49	78	0	0	30	48	79	126
		ब. बाजार	15	36	0	0	0	0	15	36
		पलारी	10	19	42	72	16	29	68	120
		योग	**165**	**272**	**42**	**72**	**202**	**299**	**409**	**643**

परिशिष्ट-1

MODIFIED NATIONAL AGRICULTURE INSURANCE SCHEME (MNAIS)

रबी 2010-11 में क्रियान्वित करने संबंधी अधिसूचित किये जाने वाले ग्रामों की सूची एवं संलग्न अधिकारियों के नाम

जिला-रायपुर

क्र.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम का नाम		
				गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	कचना	कचना	कचना	-	-
2.		जोरा	जोरा	जोरा	-	-
3.		पिरदा	पिरदा	पिरदा	-	-
4.		कांदुल	कांदुल	कांदुल	-	-
5.		माना	बनरसी	बनरसी	-	-
6.			भटगांव	भटगांव	-	-
7.			माना	माना	-	-
8.		लभानडीह	लभानडीह	लभानडीह	-	-
9.		पंडरभट्ठा	पंडरभट्ठा	-	-	पंडरभट्ठा
10.		भैसमुड़ा	भैसमुड़ा	-	-	भैसमुड़ा
11.			भरेवा	-	-	भरेवा
12.		मुर्रा	मुर्रा	मुर्रा	-	मुर्रा
13.		कुरा	कुरा	कुरा	-	कुरा
14.		देवरी	देवरी	देवरी	-	देवरी
15.			अकोली	अकोली	-	अकोली
16.		मनोहर	मनोहर	मनोहर	-	मनोहर
17.			मेहरसखा	मेहरसखा	-	मेहरसखा
18.		मलौद	मलौद	मलौद	-	-
19.		सिलयारी	सिलयारी	सिलयारी	-	सिलयारी
20.		पथरी	पथरी	पथरी	-	पथरी
21.		तरेसर	तरेसर	-	-	तरेसर
22.		पवनी	पवनी	पवनी	-	पवनी
23.		मंगसा	मंगसा	मंगसा	-	मंगसा
24.		सारागांव	सारागांव	सारागांव	-	सारागांव
25.		निलजा	निलजा	निलजा	-	निलजा
26.		तर्रा	तर्रा	तर्रा	-	तर्रा
27.		जरौदा	जरौदा	जरौदा	-	जरौदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.		छपोर	छपोरा	छपोरा	–	–
29.			भुरकोनी	भुरकोनी	–	–
30.		बरबंदा	बरबंदा	–	–	बरबंदा
31.		मोहन्दी	मोहन्दी	मोहन्दी	–	–
32.		गोढ़ी	गोढ़ी	–	–	गोढ़ी
33.		कपसदा	कपसदा	–	–	कपसदा
34.		रैता	रैता	–	–	रैता
35.		अकोली	अकोली	अकोली	–	अकोली
36.		टेकारी	टेकारी	टेकारी	–	–
37.	तिल्दा	बेमता	बेमता	–	–	बेमता
38.		लखना	लखना	–	–	लखना
39.		सुगेरा	सुगेरा	–	–	सुगेरा
40.		खैरखूंट	खैरखूंट	–	–	खैरखूंट
41.			बलौदीखूर्द	–	–	बलौदीखूर्द
42.		सगुनी	सगुनी	–	–	सगुनी
43.		तरपोंगी	तरपोंगी	–	–	तरपोंगी
44.		मोहदा	मोहदा	–	–	मोहदा
45.		सांकरा	सांकरा	–	–	सांकरा
46.		सड्डू	सड्डू	–	–	सड्डू
47.		सरोरा	सरोरा	–	–	सरोरा
48.		बिलाड़ी	बिलाड़ी	–	–	बिलाड़ी
49.		भुरसुदा	भुरसुदा	–	–	भुरसुदा
50.			गुजरा	–	–	गुजरा
51.		परसदा	परसदा	–	–	परसदा
52.			जोता	–	–	जोता
53.		टंडवा	टंडवा	–	–	टंडवा
54.		सिलपट्टी	सिलपट्टी	–	–	सिलपट्टी
55.			हतबंद	–	–	हतबंद
56.		जलसो	जलसो	–	–	जलसो
57.			नकटी खपरी	–	–	नकटी खपरी
58.		खम्हरिया	खम्हरिया	–	–	खम्हरिया
59.		बरतोरी	बरतोरी	–	–	बरतोरी
60.		छतौद	छतौद	–	–	छतौद
61.		ताराशिव	ताराशिव	–	–	ताराशिव
62.		कोहका	कोहका	–	–	कोहका
63.			घुलघुल	–	–	घुलघुल
64.		कोटा	कोटा	–	–	कोटा
65.		खपरीकला	खपरीकला	–	–	खपरीकला
66.		तुलसी	नकटी	–	–	नकटी
67.			खपराडीह	–	–	खपराडीह
68.		छपोरा	छपोरा	–	–	छपोरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69.			परसदा	–	–	परसदा
70.		कठिया	कठिया	–	–	कठिया
71.		नकटी कुम्हारी	कुम्हारी	–	–	कुम्हारी
72.			परसवानी	–	–	परसवानी
73.		कुम्हारी	कुम्हारी	–	–	कुम्हारी
74.		मोतिमपुर कला	मोतिमपुर कला	–	–	मोतिमपुर कला
75.			मघईपुर	–	–	मघईपुर
76.		छेड़िया	छेड़िया	–	–	छेड़िया
77.			नहरडीह	–	–	नहरडीह
78.		गैतरा	सोनतरा	–	–	सोनतरा
79.		मढ़ी	मढ़ी	–	–	मढ़ी
80.		कोदवा	कोदवा	–	–	कोदवा
81.		बरतोरी	बरतोरी	–	–	बरतोरी
82.		देवगांव	देवगांव	–	–	देवगांव
83.		बंगोली	बंगोली	–	–	बंगोली
84.		बरोण्डा	बरोण्डा	–	–	बरोण्डा
85.		गनियारी	गनियारी	–	–	गनियारी
86.		बेल्दारसिवनी	बेल्दारसिवनी	–	–	बेल्दारसिवनी
87.		बुड़ेनी	बुड़ेनी	–	–	बुड़ेनी
88.		सिर्री	सिर्री	–	–	सिर्री
89.			बरडीह	–	–	बरडीह
90.		कंनकी	कनकी	–	–	कनकी
91.		पाड़ाभाट	पाड़ाभाट	–	–	पाड़ाभाट
92.			मादाडीह	–	–	मादाडीह
93.	अभनपुर	मुड़रा	मुड़रा	–	–	मुड़रा
94.		रवेली	रवेली	–	–	रवेली
95.		कोलर	कोलर	–	–	कोलर
96.		टेकारी	टेकारी	–	–	टेकारी
97.		कन्हेरा	कन्हेरा	–	–	कन्हेरा
98.		आमदी	आमदी	–	–	आमदी
99.		परसदा	परसदा	–	–	परसदा
100.		ढोढ़रा	ढोढ़रा	–	–	ढोढ़रा
101.		खट्टी	खट्टी	–	–	खट्टी
102.		खोरपा	खोरपा	–	–	खोरपा
103.		संकरी	संकरी	–	–	संकरी
104.		बिरोदा	बिरोदा	–	–	बिरोदा
105.		सिवनी	सिवनी	–	–	सिवनी
106.		घुसेरा	घुसेरा	–	–	घुसेरा
107.		डोमा	डोमा	–	–	डोमा
108.			घोरभट्टी	–	–	घोरभट्टी
109.		खोला	खोला	–	–	खोला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110.		पिपरोद	पिपरोद	–	–	पिपरोद
111.		हसदा	हसदा	–	–	हसदा
112.		सोनेसिल्ली	सोनेसिल्ली	–	–	सोनेसिल्ली
113.		उमरपोटी	उमरपोटी	–	–	उमरपोटी
114.	आरंग	बैहार	बैहार	–	–	बैहार
115.		रसनी	रसनी	–	–	रसनी
116.		जरोद	जरोद	–	–	जरोद
117.		बोड़रा	बोड़रा	–	–	बोड़रा
118.		खमतराई	खमतराई	–	–	खमतराई
119.			कलई	–	–	कलई
120.		अकोलीखुर्द	अकोलीखुर्द	–	–	अकोलीखुर्द
121.			छतौना	–	–	छतौना
122.			परसठी	–	–	परसठी
123.		फरफौद	फरफौद	फरफौद	–	फरफौद
124.			बोहरडीह	–	–	बोहारडीह
125.		गुमा	गुमा	–	–	गुमा
126.		भैसा	भैसा	–	–	भैसा
127.			अछोली	–	–	अछोली
128.			खोरसी	–	–	खोरसी
129.			परसवानी	–	–	परसवानी
130.			मटिया	–	–	मटिया
131.			मजिठा	–	–	मजिठा
132.			लांजा	–	–	लांजा
133.		भंडारपुरी	भंडारपुरी	–	–	भंडारपुरी
134.			पिरदा	–	–	पिरदा
135.		कोड़ापार	कोड़ापार	–	–	कोड़ापार
136.			धोबभट्ठी	–	–	धोबभट्ठी
137.		अमोदी	अमोदी	अमोदी	–	अमोदी
138.			केसला	केसला	–	केसला
139.			धौराभाठा	धौराभाठा	–	धौराभाठा
140.			रसौटा	रसौटा	–	रसौटा
141.		कुटेला	कुटेला	कुटेला	–	–
142.		चिखली	चिखली	चिखली	–	–
143.			मोहमेला	मोहमेला	–	–
144.		कुरुद	कुरुद	कुरुद	–	–
145.			परसदा	परसदा	–	–
146.		समोंदा	समोदा	समोदा	–	–
147.			हरदीडीह	हरदीडीह	–	–
148.			कुसमुन्द	कुसमुन्द	–	–
149.		बनरसी	बनरसी	बनरसी	–	बनरसी
150.			तुलसी	तुलसी	–	तुलसी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151.			परसवानी	परसवानी	–	–
152.		सकरी	चकवे	चकवे	–	चकवे
153.			परसदा	परसदा	–	परसदा
154.		चपरीद	चपरीद	चपरीद	–	चपरीद
155.			रानीसागर	रानीसागर	–	रानीसागर
156.		नगर पंचायत	आरंग	आरंग	–	आरंग
157.		पंधी	पंधी	–	–	पंधी
158.		अमेठी	अमेठी	–	–	अमेठी
159.			गुदगुदा	–	–	गुदगुदा
160.		बेनीडीह	बेनीडीह	–	–	बेनीडीह
161.			राटाकाट	–	–	राटाकाट
162.		गोईन्दा	गोईन्दा	–	–	गोईन्दा
163.		अकोलीखुर्द	अकोलीखुर्द	अकोलीखुर्द	–	अकोलीखुर्द
164.			लिंगडीह	लिंगडीह	–	लिंगडीह
165.		भिलाई	भिलाई	–	–	भिलाई
166.		मोखला	मोखला	–	–	मोखला
167.		छटेरा	छटेरा	–	–	छटेरा
168.		बन चरौदा	बन चरौदा	बन चरौदा	–	बन चरौदा
169.		गौरभाट	गौरभाट	–	–	गौरभाट
170.		भलेरा	भलेरा	–	–	भलेरा
171.		नरदहा	नरदहा	नरदहा	–	–
172.		चटौद	चटौद	–	–	चटौद
173.		टेकारी	टेकारी	–	–	टेकारी
174.			कुण्डा	–	–	कुण्डा
175.		खौली	खौली	–	–	खौली
176.		मालीडीह	मालीडीह	–	–	मालीडीह
177.			करही	–	–	करही
178.		नारा	नारा	–	–	नारा
179.		पिपरहट्टा	पिपरहट्टा	–	–	पिपरहट्टा
180.			खम्हरिया	–	–	खम्हरिया
181.		डिघारी	डिघारी	–	–	डिघारी
182.		सिवनी	सिवनी	–	–	सिवनी
183.		जुगेंसर	जुगेंसर	–	–	जुगेंसर
184.			सोनपैरी	–	–	सोनपैरी
185.		पलौद	पलौद	–	–	पलौद
186.		बकतरा	बकतरा	बकतरा	–	बकतरा
187.		जरौद	जरौद	–	–	जरौद
188.		कुकरा	कुकरा	–	–	कुकरा
189.		रीवा	रीवा	–	–	रीवा
190.		गुजरा	गुजरा	गुजरा	–	गुजरा
191.		परसदा	परसदा	परसदा	–	परसदा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
192.		धमनी	धमनी	धमनी	–	–
193.	सिमगा	चकरवाय	चकरवाय	चकरवाय	–	चकरवाय
194.			तोरा	तोरा	–	तोरा
195.		तुलसी	तुलसी	तुलसी	–	तुलसी
196.		चंदियापथरा	चंदियापथरा	–	–	चंदियापथरा
197.			चोरहानवागांव	–	–	चोरहानवागांव
198.		करहुल	करहुल	करहुल	–	करहुल
199.			करही (अड़बंधा)	करही (अड़बंधा)	–	करही (अड़बंधा)
200.		गणेशपुर	गणेशपुर	–	–	गणेशपुर
201.			मर्राकोना	–	–	मर्राकोना
202.		कोलिहा	कोलिहा	कोलिहा	–	कोलिहा
203.			कुलीपोटा	कुलीपोटा	–	कुलीपोटा
204.		दावनबोड़	दावनबोड़	दावनबोड़	–	–
205.		बुचीपारा	बुचीपारा	बुचीपारा	–	बुचीपारा
206.			सकरी	सकरी	–	सकरी
207			देवरीडीह	देवरीडीह	–	देवरीडीह
208.			ढाबाडीह	ढाबाडीह	–	ढाबाडीह
209.		मनोहरा	मनोहरा	मनोहरा	–	–
210.		माचाभाट	माचाभाट	माचाभाट	–	–
211.			रेंगाबाड़	रेंगाबाड़	–	–
212.		मोटियारीडीह	मोटियारीडीह	मोटियारीडीह	–	मोटियारीडीह
213.			धीवनपुरी	धीवनपुरी	–	धीवनपुरी
214.			खरगाडीह	खरगाडीह	–	खरगाडीह
215.			मानिकचौरी	मानिकचौरी	–	मानिकचौरी
216.		अकलतरा	अकलतरा	अकलतरा	–	–
217.			माढंर	माढंर	–	–
218.		चौरंगा	चौरंगा	चौरंगा	–	चौरंगा
219.			भोथीडीह	भोथीडीह	–	भोथीडीह
220.		दामाखेड़ा	दामाखेड़ा	दामाखेड़ा	–	दामाखेड़ा
221.			धोबनी	धोबनी	–	धोबनी
222.		किरवई	किरवई	किरवई	–	किरवई
223.		चंदेरी	चंदेरी	चंदेरी	–	–
224.			बछेरा	बछेरा	–	–
225.		बैकोनी	बैकोनी	बैकोनी	–	–
226.			हिरनभट्ठा	हिरनभट्ठा	–	–
227.		खैरघट	खैरघट	खैरघट	–	खैरघट
228.			मंढर	मंढर	–	मंढर
229.		बनसांकरा	बनसांकरा	बनसांकरा	–	बनसांकरा
230.		कचलोन	कचलोन	कचलोन	–	कचलोन
231.			तेंदुभाठा	–	–	तेंदुभाठा
232.		औरेंठी	औरेंठी	औरेंठी	–	औरेंठी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
233.		लांजा	लांजा	लांजा	–	लांजा
234.			बिनैका	बिनैका	–	बिनैका
235.		नवागांव	नवागांव	नवागांव	–	नवागांव
236.			मुसुवाडीह	मुसुवाडीह	–	मुसुवाडीह
237.		कामता	कामता	कामता	–	–
238.		केसदा	केसदा	केसदा	–	–
239.		रिगनी	रिगनी	रिगनी	–	–
240.		झिरिया	झिरिया	झिरिया	–	–
241.		डोगरिया	डोगरिया	डोगरिया	–	–
242.		सीतापार	सीतापार	सीतापार	–	–
243.		लावर	लावर	–	–	लावर
244.		मोहभट्ठा	मोहभट्ठा	मोहभट्ठा	–	मोहभट्ठा
245.		हथबंद	हथबंद	हथबंद	–	हथबंद
246.		नेवधा	नेवधा	नेवधा	–	–
247.		उड़ेला	उड़ेला	उड़ेला	–	–
248.			पौसरी	पौसरी	–	–
249.		खिलोरा	खिलोरा	खिलोरा	–	खिलोरा
250.		कुकुराचुंदा	कुकुराचुंदा	कुकुराचुंदा	–	–
251.		सकरी	सकरी	सकरी	–	सकरी
252.			करेली	करेली	–	करेली
253.		जरौद	जरौद	जरौद	–	जरौद
254.			सोनबरसा	सोनबरसा	–	सोनबरसा
255.		शिकारीकेसली	शिकारीकेसली	–	–	शिकारीकेसली
256.		लोहारी	लोहारी	लोहारी	–	–
257.			भोथीडीह	भोथीडीह	–	–
258.		सुहेला	सुहेला	सुहेला	–	–
259.		रानीजरौद	रानीजरौद	रानीजरौद	–	–
260.			डिग्गी	डिग्गी	–	–
261.			खपरी	खपरी	–	–
262.		बासीन	बासीन	बासीन	–	–
263.			खैरवानी	खैरवानी	–	–
264.		आमाकोनी	आमाकोनी	आमाकोनी	–	–
265.			टेकारी	टेकारी	–	–
266.		खपरीडीह	खपरीडीह	खपरीडीह	–	–
267.		झीपन	झीपन	झीपन	–	–
268.		मटमेरा	मटमेरा	मटमेरा	–	–
269.		पेन्ड्री	पेन्ड्री	पेन्ड्री	–	पेन्ड्री
270.			अमेरी	अमेरी	–	अमेरी
271.		सकलोर	सकलोर	सकलोर	–	–
272.			कसहीडीह	कसहीडीह	–	–
273.		कुथरौद	कुथरौद	कुथरौद	–	कुथरौद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
274.		तिल्दाबांधा	तिल्दाबांधा	तिल्दाबांधा	–	तिल्दाबांधा
275.			भोथीडीह	भोथीडीह	–	भोथीडीह
276.			बंबरिया विरान	बंबरिया विरान	–	बंबरिया विरान
277.		मोहरा	मोहरा	मोहरा	–	मोहरा
278.		भालेसुर	भालेसुर	भालेसुर	–	–
279.		पौंसरी	पौंसरी	पौंसरी	–	पौंसरी
280.		खडुवा	खडुवा	खडुवा	–	खडुवा
281.			चुरचुटिया	चुरचुटिया	–	चुरचुटिया
282.	भाटापारा	तोरेंगा	तोरेंगा	तोरेंगा	–	–
283.		पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	पेण्ड्रा	–	पेण्ड्रा
284.		खोलवा	खोलवा	खोलवा	–	खोलवा
285.			कैथी	कैथी	–	कैथी
286.		देवरी	देवरी	देवरी	–	–
287.		सेमरिया	सेमरिया	–	–	सेमरिया
288.		सूरजपुरा	सूरजपुरा	सूरजपुरा	–	–
289.		टेहका	टेहका	टेहका	–	टेहका
290.		दतरेंगी	दतरेंगी	दतरेंगी	–	–
291.		दतरेंगा	दतरेंगा	दतरेंगा	–	–
292.			मधुबन	मधुबन	–	–
293.		कड़ार	कड़ार	कड़ार	–	कड़ार
294.		लेवई	लेवई	लेवई	–	लेवई
295.			जराहागांव	जराहागांव	–	जराहागांव
296.		परसवानी	परसवानी	परसवानी	–	परसवानी
297.			अकोली	अकोली	–	अकोली
298.			कुम्हरखान	कुम्हरखान	–	कुम्हरखान
299.		अकलतरा	अकलतरा	–	–	अकलतरा
300.		परसवानी (क)	परसवानी	परसवानी	–	–
301.			कलमीडीह	कलमीडीह	–	–
302.		बिजराडीह	बिजराडीह	बिजराडीह	–	बिजराडीह
303.		सुरखी	सुरखी	सुरखी	–	–
304.			खपराडीह	खपराडीह	–	–
305.		टिकुलिया	टिकुलिया	टिकुलिया	–	–
306.		ढाबाडीह	ढाबाडीह	ढाबाडीह	–	–
307.			धौराभाठा	धौराभाठा	–	–
308.		बोड़तरा	बोड़तरा	बोड़तरा	–	–
309.		गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	–	–
310.			बोरसी	बोरसी	–	–
311.			मजगांव	मजगांव	–	–
312.		खोखली	खोखली	खोखली	–	–
313.		सेमरिया	सेमरिया	सेमरिया	–	–
314.			बीजाभाठ	बीजाभाठ	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
315.		गोगिया	गोगिया	गोगिया	–	गोगिया
316.			आलेसुर	आलेसुर	–	आलेसुर
317.		राजाढार	राजाढार	राजाढार	–	राजाढार
318.			खैरी	खैरी	–	खैरी
319.		बोरसी	बोरसी	बोरसी	–	–
320.			सेन्द्री	सेन्द्री	–	–
321.		गुर्रा	गुर्रा	गुर्रा	–	–
322.		तुरमा	तुरमा	–	–	तुरमा
323.			चमारी	–	–	चमारी
324.		अमलीडीह	अमलीडीह	–	–	अमलीडीह
325.			हसंदा	–	–	हसंदा
326.		धुर्राबांधा	धुर्राबांधा	धुर्राबांधा	–	धुर्राबांधा
327.		कुकदा	कुकदा	–	–	कुकदा
328.			खैरी	–	–	खैरी
329.		निरगी	निरगी	निरगी	–	निरगी
330.			परसाडीह	परसाडीह	–	परसाडीह
331.		मल्दी	मल्दी	मल्दी	–	मल्दी
332.		मोपर	मोपर	मोपर	–	मोपर
333.		देवरानी	देवरानी	देवरानी	–	देवरानी
334.			जेठानी	जेठानी	–	जेठानी
335.			अमेठी	अमेठी	–	अमेठी
336.		टोनाटार	टोनाटार	टोनाटार	–	टोनाटार
337.		गोढ़ी	गोढ़ी	गोढ़ी	–	गोढ़ी
338.		नवागांव	नवागांव	नवागांव	–	नवागांव
339.			टोपा	टोपा	–	टोपा
340.		निपनिया	निपनिया	निपनिया	–	निपनिया
341.		कोनी	कोनी	कोनी	–	–
342.			बकबुड़वा	बकबुड़वा	–	–
343.		कोदवा	कोदवा	कोदवा	–	कोदवा
344.		भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	–	–
345.		खपरी	खपरी	खपरी	–	–
346.			सिलवा	सिलवा	–	–
347.		भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	–	भरतपुर
348.			बकुलाही	बकुलाही	–	बकुलाही
349.			धौराभाठा	धौराभाठा	–	धौराभाठा
350.		मोपका	मोपका	मोपका	–	–
351.		धनेली	धनेली	धनेली	–	धनेली
352.		खपरी	खपरी	खपरी	–	–
353.		रामपुर	रामपुर	रामपुर	–	–
354.			लालपुर	लालपुर	–	–
355.		खैरा	खैरा	खैरा	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
356.		गुढेलिया	गुढेलिया	गुढेलिया	–	–
357.		पथरिया	पथरिया	पथरिया	–	–
358.			चमारगुडा	चमारगुडा	–	–
359.		चिचपोल	चिचपोल	–	–	चिचपोल
360.		सिंगारपुर	सिंगारपुर	सिंगारपुर	–	सिंगारपुर
361.		गोढ़ी	गोढ़ी	गोढ़ी	–	–
362.			लमती	लमती	–	–
363.			राजपुर	राजपुर	–	–
364.		सेम्हराडीह	सेम्हराडीह	सेम्हराडीह	–	सेम्हराडीह
365.			मेन्ड्र	मेन्ड्र	–	मेन्ड्र
366.		बेन्द्री	बेन्द्री	बेन्द्री	–	बेन्द्री
367.			पौसरी	पौसरी	–	पौसरी
368.			अचानकपुर	अचानकपुर	–	अचानकपुर
369.	बा. बाजार	धवई	धवई	धवई	–	–
370.			कोलियारी	कोलियारी	–	–
371.			पुरेना	पुरेना	–	–
372.		सलौनी	बुड़गहन	बुड़गहन	–	–
373.		ढाबाडीह	ढाबाडीह	ढाबाडीह	–	–
374.			खजुरी	खजुरी	–	–
375.			बाइरडीह	बाइरडीह	–	–
376.			झोका	झोका	–	–
377.			केशडबरी	केशडबरी	–	–
378.		चरौटी	चरौटी	चरौटी	–	–
379.			परसाभदेर	परसाभदेर	–	–
380.			अचानकपुर	अचानकपुर	–	–
381.		मगरचवा	मगरचवा	मगरचवा	–	–
382.			खैरघटा	खैरघटा	–	–
383.			हलवाईखपरी	हलवाईखरी	–	–
384.		भरसेला	भरसेला	भरसेला	–	–
385.			सुकलाभाठा	सुकलाभाठा	–	–
386.		पसौरी	पसौरी	पसौरी	–	–
387.			मगरवाय	मगरवाय	–	–
388.		भरसेली	भरसेली मा.	भरसेली मा.	–	–
389.			भरसेली रै.	भरसेली रै.	–	–
390.			छुईया मा.	छुईया मा.	–	–
391.			छुईया रै.	छुईया रै.	–	–
392.		करमदा	करमदा	करमदा	–	–
393.		गैतरा	गैतरा	गैतरा	–	–
394.		अजुर्नी	अजुर्नी	अजुर्नी	–	–
395.		सेम्हराडीह	सेम्हराडीह	सेम्हराडीह	–	–
396.			पिपराही	पिपराही	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
397.		ढनढनी	ढनढनी	ढनढनी	–	–
398.			फरसाडीह	फरसाडीह	–	–
399.			सरकीपार	सरकीपार	–	–
400.		भरूवाडीह	भरूवाडीह	भरूवाडीह	–	–
401.			खैरवाडीह	खैरवाडीह	–	–
402.			ढाबाडीह	ढाबाडीह	–	–
403.		कोकड़ी	कोकड़ी	कोकड़ी	–	–
404.			परसाभदेर	परसाभदेर	–	–
405.	पलारी	खपरी	खपरी	–	खपरी	–
406.			तमोरी	–	तमोरी	–
407.		वटगन	वटगन	–	वटगन	–
408.		कोड़िया	कोड़िया	–	कोड़िया	–
409.			जंगलोर	–	जंगलोर	–
410.		कुकदा	कुकदा	–	कुकदा	–
411.			घोठिया	–	घोठिया	–
412.			पहंदा	–	पहंदा	–
413.		पलारी	पलारी	पलारी	पलारी	पलारी
414.		दतान	दतान	दतान	दतान	–
415.		कोसमंदी	कोसमंदी	–	कोसमंदी	–
416.		अछोली	अछोली	–	अछोली	अछोली
417.			गातापार	–	गातापार	गातापार
418.		अमेरा	अमेरा	अमेरा	अमेरा	अमेरा
419.		केसला	केसला	–	केसला	–
420.			कौवाडीह	–	कौवाडीह	–
421.		छड़िया	छड़िया	–	छड़िया	–
422.		छेरकापुर	छेरकापुर	–	छेरकापुर	–
423.		लछनपुर	लछनपुर	लछनपुर	लछनपुर	लछनपुर
424.			ठेलकी	ठेलकी	ठेलकी	ठेलकी
425.		दतान	दतान	–	दतान	–
426.		घमनी	घमनी		घमनी	–
427.			मुड़ियाडीह	–	मुड़ियाडीह	–
428.		सलौनी	सलौनी	–	सलौनी	–
429.		सोनारदेवरी	सोनारदेवरी	–	सोनारदेवरी	–
430.			धौराभाठा	–	धौराभाठा	–
431.		सीतापार	सीतापार	–	सीतापार	–
432.			लटिया	–	लटिया	–
433.		अमेठी	अमेठी	–	अमेठी	–
434.			टेमरी	–	टेमरी	–
435.			खैरवारडीह	–	खैरवारडीह	–
436.		रोहासी	रोहासी	रोहासी	रोहासी	रोहासी
437.		चरौदा	चरौदा	–	चरौदा	–
438.			बम्हनी	–	बम्हनी	–
439.		दतरेंगी	दतरेंगी	–	दतरेंगी	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
440.		बिजराडीह	बिजराडीह	–	बिजराडीह	बिजराडीह
441.			गोदा	–	गोदा	गोदा
442.			मोहान	–	मोहान	मोहान
443.		गबोहारडीह	गबोहारडीह	गबोहारडीह	गबोहारडीह	गबोहारडीह
444.			लटेरा	लटेरा	लटेरा	लटेरा
445.			कुची	कुची	कुची	कुची
446.		गबौद	गबौद	–	गबौद	–
447.			सुन्दरी	–	सुन्दरी	–
448.		गाड़ाभाठा	गाड़ाभाठा	–	–	गाड़ाभाठा
449.			अमलींडीह	–	–	अमलीडीह
450.		गैतरा	गैतरा	–	गैतरा	गैतरा
451.			गाड़ाकुसमी	–	गाड़ाकुसंमी	गाड़ाकुसमी
452.		गिर्रा	गिर्रा	–	गिर्रा	गिर्रा
453.			पठारीडीह	–	पठारीडीह	पठारीडीह
454.		जर्वे	जर्वे	–	जर्वे	जर्वे
455.		गोड़ा	गोड़ा	–	गोड़ा	–
456.		खरतोरा	खरतोरा	–	खरतोरा	–
457.		कोदवा	कोदवा	–	कोदवा	–
458.		फण्डरडीह	फण्डरडीह	–	फण्डरडीह	–
459.			बोइरडीह	–	बोइरडीह	–
460.			पथरचुवा	–	पथरचुवा	–
461.		रेंगाडीह	रेंगाडीह	रेंगाडीह	–	–
462.			मुसवाडीह	मुसवाडीह	–	–
463.			सेम्हराडीह	सेम्हराडीह	–	–
464.			भालूकोना	भालूकोना	–	–
465.		साहडा	साहडा	साहडा	साहडा	साहडा
466.			कौवाडीह	कौवाडीह	कौवाडीह	कौवाडीह
467.		सैहा	सैहा	–	सैहा	सैहा
468.			बेल्हा	–	बेल्हा	बेल्हा
469.		सकरी (प)	सकरी (प)	सकरी (प)	सकरी (प)	सकरी (प)
470.			टीला	टीला	टीला	टीला
471.			बोडतरा	बोडतरा	बोडतरा	बोडतरा
472.		सकरी (स)	सकरी (स)	–	सकरी (स)	–
473.			सुन्द्री	–	सुन्द्री	–
474.		सर्रा	सर्रा	–	सर्रा	–
475.			सिघोड़ा	–	सिघोड़ा	–
476.		ससहा	ससहा	–	ससहा	–
477.		सिसदेवरी	सिसदेवरी	सिसदेवरी	सिसदेवरी	सिसदेवरी
478.		सुन्द्रावन	सुन्द्रावन	–	सुन्द्रावन	–
479.			मतवाली	–	मतवाली	–
480.		तेलासी	तेलासी	–	तेलासी	तेलासी
481.		भरूवाडीह	भरूवाडीह	–	भरूवाडीह	–
482.			मलपुरी	–	मलपुरी	–

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-33/2010/वाक./पांच.—राज्य शासन द्वारा "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010" को दिनांक 01-11-2010 से लागू करने की प्रशासकीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है.

2. उक्त संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 301/31302/ब-1/चार, दिनांक 18-10-2010 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-10/33/2010/वाक./पांच (67).—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 स्वीकृत की गई है, जिसके क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रभावशीलता—**

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना नियम, 2010" कहे जायेंगे.

(2) ये नियम 01 नवंबर, 2010 से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाएं—**

(1) इन नियमों में जब तक अन्यथा आशयित न हो.

(ए) "योजना" से आशय है छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010.

(बी) "धारा" से आशय है छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा.

(सी) "प्रारूप" से आशय है, इन नियमों के संलग्न फार्म.

(डी) "विक्रय कर अधिनियम" से आशय है, छत्तीसगढ़ सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्र. 2 सन् 1959).

(ई) "वाणिज्यिक कर अधिनियम" से आशय है, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्र. 5 सन् 1995).

(एफ) "केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम" से आशय है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956).

(जी) "प्रवेश कर अधिनियम" से आशय है, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976).

(एच) "विलासिता कर अधिनियम" से आशय है, छत्तीसगढ़ होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (क्र. 13 सन् 1988).

(आई) "वृत्तिकर अधिनियम" से आशय है, छत्तीसगढ़ वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्र. 16 सन् 1995).

(जे) "बकायादार" से आशय है, ऐसा व्यवसायी जिसकी विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम, विलासिता कर अधिनियम तथा वृत्तिकर अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31-03-2006 तक अवधि से संबंधित बकाया राशि भुगतान हेतु लंबित हो.

(के) "बकाया राशि" से आशय है, विक्रय कर अधिनियम, वाणिज्यिक कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेश कर अधिनियम, विलासिता कर अधिनियम तथा वृत्तिकर अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31-03-2006 तक की अवधि से संबंधित कर निर्धारण एवं अंतिम प्रत्यावर्तन आदेश के पूर्व लंबित बकाया राशि.

(एल) "सक्षम अधिकारी" से आशय है, संबंधित वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी, जहां बकायादार का व्यवसाय स्थित है एवं जिसके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा.

(एम) "समाधान राशि" से आशय है, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 में विचाराधीन प्रकरण के समाधान के पूर्व जमा करायी जाने वाली राशि, जो निर्धारित किए अनुसार हो.

(एन) "समाधानकर्ता प्राधिकारी" से आशय है, वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा उससे वरिष्ठ श्रेणी का अधिकारी जो समाधान राशि स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार प्राधिकृत होगा :—

संबंधित समाधानकर्ता प्राधिकारी (1)	स्वीकृति हेतु बकाया राशि की सीमा (2)
बकायादार पर क्षेत्राधिकार रखने वाला :—	
1. वाणिज्यिक कर अधिकारी	रु. एक लाख तक
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	रु. एक लाख से अधिक किंतु पांच लाख तक
3. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	रु. पांच लाख से अधिक किंतु दस लाख तक
4. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जिसके निगरानी क्षेत्राधिकार से संबंधित हो)	रु. दस लाख से अधिक

2. अन्य प्रयुक्त शब्द एवं शब्दावलियां, जो इन नियमों में परिभाषित न हों, परन्तु योजना में उल्लिखित हैं, का वही आशय होगा जो वाणिज्यिक कर अधिनियम या सामान्य विक्रय कर अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम या प्रवेश कर अधिनियम या विलासिता कर अधिनियम तथा वृत्तिकर अधिनियम इन अधिनियमों से संबंधित नियमों में उल्लेखित हो.

3. दिनांक 31-10-2010 की स्थिति में बकायादार के विरुद्ध विभिन्न वर्षों की जो बकाया राशि लंबित है, इसमें से कुल बकाया राशि की 40% सीमा तक छूट प्राप्त होगी एवं बकायादार को कुल बकाया राशि का 60% भुगतान करना होगा, जो योजना के अंतर्गत समाधान राशि होगी. इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान भी लागू होंगे :—

क. बकायादार के द्वारा प्रस्तुत अपील/निगरानी/अन्य याचिका निराकरण हेतु लंबित है, तो ऐसा बकायादार भी इस योजना में आवेदन कर सकता है. इस हेतु आवेदनकर्ता को अपील/निगरानी/अन्य याचिका वापस लिये जाने हेतु प्रारूप-एक (क) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

ख. अपील, द्वितीय अपील अथवा निगरानी में बकायादार के द्वारा जो आंशिक भुगतान किया गया है, उसे भी कुल बकाया राशि में समायोजित कर भुगतान की गई राशि मानकर गणना की जायेगी.

ग. प्रत्यावर्तित कर निर्धारणों की स्थिति में मूल कर निर्धारण आदेश में निकाली गई मांग राशि के विरुद्ध बकायादार इस योजना में आवेदन कर सकता हैं.

घ. किश्त में भुगतान की सुविधा प्राप्त किया हुआ बकायादार आवेदन दिनांक के पूर्व तक किश्त की जो राशि जमा कर चुका है, उसे कम करने के पश्चात् शेष बकाया राशि के लिये योजना में आवेदन कर सकता है. किन्तु जिस दिनांक तक उसके द्वारा किश्त की सुविधा प्राप्त की जा चुकी है, उस दिनांक तक ब्याज की राशि पृथक से देय होगी.

ङ. आस्थगन भुगतान वाली इकाईयों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

च. वाणिज्यिक कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, प्रवेशकर अधिनियम, विलासिता कर अधिनियम एवं वृत्तिकर अधिनियम के अंतर्गत शास्ति एवं ब्याज के जो भी प्रावधान हैं, वे सभी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लागू होंगे.

4. (एक) बकायादार द्वारा निर्धारित प्रारूप "एक" में आवेदन पत्र द्वितीयक (दो प्रतियों में) में सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 01-11-2010 से दिनांक 31-12-2010 तक प्रस्तुत किया जाएगा.

(दो) आवेदन पत्र प्रारूप "एक" में दर्शाये अनुसार तथ्यों को तद्नुसार सत्यापित किया जायेगा और अधिकृत घोषणाकर्ता/बकायादार द्वारा हस्ताक्षरित होगा.

(तीन) सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति की लिखित अभिस्वीकृति प्रदान की जाएगी.

5. सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत बकाया राशि के सत्यापन संबंधी समस्त अभिलेख सहित प्रकरण समाधानकर्ता प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा.

6. समाधानकर्ता प्राधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी से अभिलेख एवं आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर समाधान राशि की गणना कर प्रारूप-दो में सूचना भेजी जाएगी और बकायादार द्वारा प्रारूप "दो" में सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर समाधान राशि जमा करायी जाएगी. समाधान राशि के भुगतान का चालान, भुगतान करने के 7 दिवस के अंदर समाधानकर्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

7. समाधानकर्ता अधिकारी बकायादार से भुगतान की गई समाधान राशि का चालान प्राप्त होने पर इसके सत्यापन हेतु तीन दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी को भेजेगा. सक्षम अधिकारी सात दिवस के भीतर कार्यालयीन अभिलेखों से चालान का सत्यापन कर प्रतिवेदन सहित वापस समाधानकर्ता अधिकारी को भेजेगा.

8. समाधानकर्ता प्राधिकारी द्वारा बकाया राशि के पूर्ण एवं अंतिमरूपेण निराकरण हेतु एक प्रमाण पत्र प्रारूप-तीन में भुगतान का चालान प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर बकायादार को जारी किया जाएगा.

9. विभिन्न कार्यवाहियां हेतु समय-सीमाएं निम्नानुसार रहेंगी :—

अनुक्रमांक (1)	कार्यवाही का स्वरूप (2)	समय-सीमा (3)
(1)	आवेदन प्रारूप "एक" प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 01-11-2010 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तक.
(2)	सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलेख एवं आवेदन समाधानकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना.	आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर
(3)	समाधानकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रारूप "दो" जारी किया जाना	सक्षम अधिकारी से आवेदन एवं अभिलेख प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर.
(4)	समाधान राशि बकायादार द्वारा जमा करायी जाना	प्रारूप "दो" प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर
(5)	भुगतान का चालान समाधानकर्ता प्राधिकारी के समक्ष बकायादार द्वारा प्रस्तुत किया जाना.	भुगतान की तिथि से 7 दिवस के भीतर
(6)	समाधानकर्ता अधिकारी द्वारा चालान सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी को भेजना.	चालान प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर

(1)	(2)	(3)
(7)	समक्ष अधिकारी द्वारा चालान का सत्यापन कर वापस समाधानकर्ता अधिकारी को भेजना.	चालान प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर
(8)	योजना के अंतर्गत समाधान का प्रमाण पत्र प्रारूप तीन में समाधानकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना.	भुगतान का चालान प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत प्रथम अपील/द्वितीय अपील/ निगरानी वापसी हेतु आवेदन

"प्रारूप-एक (क)"

प्रति,

श्रीमान् सचिव, वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर
श्रीमान् अपर आयुक्त/संभागीय उपायुक्त/अपीलीय उपायुक्त
संभाग/परिक्षेत्र . . . .
छत्तीसगढ़.

विषय :- अवधि . . . . के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अपील/द्वितीय अपील/निगरानी की वापसी बाबत्.

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे द्वारा कर निर्धारण/अपील में पारित आदेश दिनांक . . . . के विरुद्ध प्रथम अपील/द्वितीय अपील/निगरानी क्रमांक . . . . दिनांक . . . . प्रस्तुत की गई है, जो कि आपके समक्ष निराकरण हेतु लंबित है. प्रस्तुत अपील/निगरानी में मेरे द्वारा चालान क्रमांक . . . . दिनांक . . . . से रु. . . . . राशि भुगतान किया गया है.

मेरे द्वारा "छत्तीसगढ़ बकाया राशि सरल समाधान योजना, 2010" के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है. अत: उपरोक्त प्रकरण में आपके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील/द्वितीय अपील/निगरानी वापस लेने हेतु स्वेच्छा से आवेदन प्रस्तुत है, क्योंकि मैं अब उक्त अपील/निगरानी/ आवेदन पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं चाहता हूं. कृपया प्रस्तुत आवेदन प्राथमिकता पर निराकृत करने का कष्ट करें.

(आवेदनकर्ता की सील)

कर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
कर्ता का नाम . . . .
व्यवसाय में हैसियत . . . .
फर्म का नाम . . . .
टिन नंबर . . . .

दिनांक . . . .
स्थान . . . .

प्रतिलिपि :—

समाधानकर्ता प्राधिकारी की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निवेदन के साथ प्रस्तुत है कि मेरे विरुद्ध बकाया राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ बकाया राशि सरल समाधान योजना, 2010 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करने का कष्ट करें.

कर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत आवेदन-पत्र

प्रारूप-एक
[नियम-4 (एक)]

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त . . . .

विषय :- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत बकायादार द्वारा आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण.

मैं योजना के अंतर्गत निम्नानुसार घोषणा कर रहा/रही हूं :—

1. बकायादार का पूरा नाम . . . .
2. बकायादार का पूर्ण पता (पंजीकृत कार्यालय) . . . .
3. पंजीयन क्रमांक (यदि कोई हो) . . . .
4. घोषणाकर्ता की व्यवसाय में स्थिति : . . . .
   (स्वामी/भागीदार/प्रबंधक/कर्ता)
5. व्यवसाय का प्रकार : . . . .
   (क्रेता/विक्रेता/निर्माता/कंपनी)
6. प्रकरण की बकाया का विवरण :
   (क) अधिनियम . . . .
   (ख) प्रकरण क्रमांक . . . .
   (ग) कर निर्धारण अवधि . . . .
   (घ) आदेश पारित करने का दिनांक . . . .
   (ङ) निकाली गई अतिरिक्त मांग की राशि—
      (i) कर राशि . . . .
      (ii) ब्याज राशि . . . .
      (iii) शास्ति राशि . . . .

      योग . . . .

   (त) अतिरिक्त मांग के विरुद्ध 31-10-2010 तक भुगतान की गई राशि . . . .
   (थ) 1 नवंबर, 2010 के प्रारंभ में शेष बकाया राशि . . . .
   (द) बकायादार द्वारा संगणित समाधान राशि—
      अ. (i) कर राशि . . . .
         (ii) ब्याज राशि . . . .
         (iii) शास्ति राशि . . . .

         योग . . . .

      ब. (—) प्रथम अपील/द्वितीय अपील/
         निगरानी में जमा राशि . . . . चा. क्र. . . . . दिनांक . . . .

      स. (—) शेष समाधान योग्य . . . .
         राशि

7. प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम अपील/द्वितीय अपील/पुनरीक्षण या अन्य कोई याचिका मेरे द्वारा प्रारूप-दो प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर वापस ले ली जाएगी.

8. निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत मुझे लाभ दिलाने का कष्ट करें.

समाधानकर्ता प्राधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रारूप 2 में संगणित की गई समाधान राशि यदि उपरोक्त कंडिका 6 (द) में मेरे द्वारा संगणित समाधान राशि से भिन्न होती है, तो भी योजना में लाभ लेने हेतु मेरे द्वारा प्रारूप 2 तथा नियम-9 में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं में कार्यवाही की जाएगी.

हस्ताक्षर . . . .
. . . .
(घोषणाकर्ता का पूरा नाम एवं हैसियत)
फर्म की सील . . . .

स्थान : . . . .
दिनांक : . . . .

प्रमाणीकरण

मैं . . . . आत्मज/आत्मजा श्री/श्रीमती . . . . निष्ठा से कथन करता/करती हूं कि मेरे पूर्ण अभिज्ञान एवं विश्वास के अनुसार —

(क) आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न साक्ष्य सही एवं पूर्ण हैं तथा बकाया राशि का विवरण एवं अन्य विवरण भी सत्यतापूर्वक दर्शाये गए हैं.

(ख) योजना एवं तत्संबंधी नियमों के अनुसार घोषणा करने हेतु मैं सक्षम एवं पात्र हूं एवं योजना तथा नियम मुझे स्वीकार है.

(ग) मैं योजना के अनुसार स्वयं की ओर से स्वेच्छा से शासन द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठा रहा हूं/रही हूं.

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यह घोषणा . . . . की हैसियत से कर रहा/रही हूं और तद्र्थक अधिकार पत्र संलग्न है (यदि घोषणा बकायादार द्वारा नहीं की जाकर, उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जा रही हो तो अधिकार पत्र संलग्न करें.)

हस्ताक्षर . . . .
(घोषणाकर्ता का पूरा नाम)

स्थान : . . . .
दिनांक : . . . .

निर्देश :—

1. यह आवेदन द्वितीयक में समुचित (appropriate) वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे.
2. प्रत्येक अधिनियम की अधीन प्रत्येक प्रकरण के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे.
3. कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जावे, यदि अप्रयोज्य हो तो Not Applicable लिखा जावे.

(पावती)

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त ....

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत व्यवसायी मेसर्स .... पता .... टिन क्रमांक .... द्वारा प्रारूप-एक इस कार्यालय में दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है. एतद्स्वरूप यह पावती प्रदाय की जाती है.

हस्ताक्षर ....

....

प्राप्तकर्ता का पूर्ण नाम ....

कार्यालय की सील

एवं पदनाम ....

स्थान ....

दिनांक ....

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत सूचना

प्रारूप-दो

(नियम-6)

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

....

....

....

आपके द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत प्रारूप-एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है, जिसके परीक्षण के पश्चात् समाधान राशि की संगणना निम्नानुसार की जाती है :—

(क) अधिनियम ....

(ख) प्रकरण क्रमांक. ....

(ग) कर निर्धारण अवधि. ....

(घ) आदेश पारित करने का दिनांक. ....

(ण) निकाली गई अतिरिक्त मांग की राशि :—

(i) कर राशि ....

(ii) ब्याज राशि. ....

(iii) शास्ति राशि. ....

योग

(त) प्रारूप "एक" में बकायादार द्वारा 31 अक्टूबर, 2010 के प्रारंभ में घोषित बकाया राशि ....

(थ) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित बकाया राशि ....

(द) संगणित समाधान राशि—

(i) कर राशि . . . .

(ii) ब्याज राशि . . . .

(iii) शास्ति राशि . . . .

योग . . . .

अत: एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कंडिका "द" में अंकित अनुसार संगणित समाधान राशि कुल रु. . . . . शब्दों में . . . . राशि सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अनिवार्यत: जमा कराएं. आपके द्वारा प्रारूप-एक (क) में प्रथम/द्वितीय/निगरानी या अन्य की याचिका वापस लेने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया है, तो इसका समुचित साक्ष्य एवं भुगतान की गई राशि का चालान/अन्य प्रमाण 7 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्तुत आवेदन स्वयमेव निरस्त माना जाएगा.

हस्ताक्षर . . . .
(समाधानकर्ता प्राधिकारी)

स्थान : . . . . नाम : . . . .

दिनांक : . . . . पदनाम : . . . .

पृष्ठांकन क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग . . . .
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त . . . .

हस्ताक्षर . . . .
(समाधानकर्ता प्राधिकारी)

नाम : . . . .

पदनाम : . . . .

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत समाधान प्रमाण-पत्र

प्रारूप-तीन
(नियम-6)

क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रति,

. . . .
. . . .
. . . .

बकायादार मेसर्स . . . . (नाम एवं पता) पंजीयन क्रमांक . . . . द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (बकाया राशि) सरल समाधान योजना, 2010 के अंतर्गत . . . . (अधिनियम का नाम) प्रकरण क्रमांक . . . . अवधि . . . . की बकाया राशि के समाधान हेतु प्रारूप-एक में आवेदन पत्र दिनांक . . . . को सक्षम अधिकारी जो वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त क्रमांक . . . . प्रस्तुत किया गया है.

2. बकायादार को प्रारूप "दो" में सूचना क्रमांक .... दिनांक .... से योजना के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में बकाया राशि कुल रु. .... (शब्दों में) .... हेतु समाधान राशि कुल रु. .... (शब्दों में) .... निर्धारित की गई तथा यह राशि जमा कराए जाने के निर्देश दिये गये.

3. प्रकरण में लंबित कुल बकाया राशि के पूर्ण एवं अंतिमरूपेण निराकरण हेतु कुल समाधान राशि रुपये .... (शब्दों में) .... का भुगतान चालान क्रमांक .... दिनांक .... से आवेदनकर्ता द्वारा कर दिया गया है.

4. अत: योजना के अंतर्गत प्राप्त अधिकार के अनुसरण में एतद्द्वारा बकायादार को यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि .... (अधिनियम) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक .... अवधि .... की बकाया राशि का समाधान कर दिया गया है. यह प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस प्रकरण में योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध/त्रुटि हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई शास्ति भी आरोपित नहीं की जावेगी तथा आवेदक भी प्रकरण में संबंध में किसी भी अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य लाभ नहीं ले सकेंगे.

हस्ताक्षर ....

(समाधानकर्ता प्राधिकारी)

स्थान : ....

नाम : ....

दिनांक : ....

पदनाम : ....

पृष्ठांकन क्रमांक ....

दिनांक ....

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग ....
3. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त ....

हस्ताक्षर ....

(समाधानकर्ता प्राधिकारी)

नाम : ....

पदनाम : ....

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 नवम्बर 2010

रा. प्र. क्र./247/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	ओड़गी	रैसरी प. ह. नं. 07	0.084	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	रैसरी जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	राजाआमा प.ह.नं. 36	0.401	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	खमगढ़ा जलाशय योजना के सड़क निर्माण के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्र./11/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा प. ह. नं. 39	4.378	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	खमगढ़ा जलाशय योजना के आर. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/10/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	केशला प. ह. नं. 19/25	0.11	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	नांदघाट-मल्दा-भदराली मार्ग के केकडार नाला सेतु निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/11/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	बाघुली प. ह. नं. 04	0.05	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	बाघुल-कुरंदा मार्ग के हाफ नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्रमांक/12/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	अमलीडीह प. ह. नं. 12	0.46	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ. ग.)	बाघुल-कुरदा मार्ग के हाफ नदी सेतु एवं पहुंच मार्ग में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्र./11022/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	घुपसाल प. ह. नं. 43	0.878	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कुमर्रा छुरिया व्यपवर्तन के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र.-/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	शंकर नगर प. ह. नं. 110	1185/11	0.028	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., विधान सभा संभाग, रायपुर.	शंकर नगर खम्हारडीह कचना मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			1185/16	0.020		
			1236/01, 1270/01 1273/01, 1275/01	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1236/03, 1270/03 1273/03, 1275/03	0.002		
		योग	04	0.070		

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 09 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	तिल्दाबांधा प. ह. नं. 35	20	0.107	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर (छ.ग.)	तिल्दाबांधा टार के निर्माण हेतु.
			37	0.120		
			21/2	0.074		
			22/1	0.167		
			28/3	0.241		
			32/4	0.032		
			35/2	0.094		
			35/4	0.093		
			62/1	0.061		
			64/1	0.044		
			65/1	0.101		
			65/4	0.040		
			86/1	0.172		
			88	0.307		
			89/1	0.162		
			100/2	0.112		
			101/1	0.112		
			102/1	0.591		
			108/1	0.383		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			108/2	0.470		
			109	0.324		
			110	0.457		
			111	0.445		
			112/2	0.250		
		योग	**21**	**4.959**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कौंवाताल प. ह. नं. 27	3.117	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कौंवाताल जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बोड़ाझरिया प. ह. नं. 33	5.189	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बोड़ाझरिया जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	बगुडेगा प. ह. नं. 1	0.178	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ+स) संभाग, रायगढ़.	बाकारूमा से लैलूंगा मार्ग पर स्थित ग्राम बगुडेगा की अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्रमांक 07/अ-82/09-10/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	डाडबछाली प. ह. नं. 01	1.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	डाडबछाली जलाशय नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

प्रकरण क्र./19/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लोखण्डी प. ह. नं. 31	8.66	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ/स) क्र.-2, बिलासपुर.	सकरी - तुरकाडीह बाइपास रोड निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्रमांक/2349/कले./भू-अर्जन/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-भैरमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मिरतुर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	305/2	0.91
योग		0.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुलिस थाना भवन मिरतुर हेतु..

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक/1425/01 अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरखार, प. ह. नं. 05/08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
87/4	0.38
87/6	0.09
85/11	0.09
85/3	0.17
85/1	0.06
75/3	0.17
108/3	0.12
108/2	0.20
147/1	0.50
161/3	0.09
87/5	0.12
86/1	0.60
85/2	0.16
85/10	0.09
85/5-6	0.05
74/1	0.62
110	0.07

	(1)	(2)
	185/1	0.15
	315/1	0.05
योग	19	3.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. 247/भू. अ./वाचक/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-ओड़गी
- (ग) नगर/ग्राम-रैसरी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.084 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	299	0.008
	306/855	0.076
योग	2	0.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैसरी जलाशय (मुख्य नहर निर्माण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

क्रमांक/11508/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61	0.024
65	0.077
68	0.154
69	0.085

(1)	(2)
75/1	0.081
75/2	0.085
77	0.045
78/4	0.020
78/1	0.016
78/6	0.012
78/2-5	0.012
79/1	0.006
79/2	0.008
79/3	0.009
80-81/1	0.008
82	0.024
80-81/2	0.004
80-81/3	0.002
80-81/4	0.006
83-97/5	0.012
84	0.014
योग	0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव अन्तागढ़ मार्ग के कि.मी. 5/8-10 पर शिवनाथ नदी (मोहारा घाट) सेतु निर्माण पहुंच मार्ग एवं परिवर्तित मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

क्रमांक/11509/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोहारा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.857 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.043
310	0.722
277/1	0.048
277/2	0.016
357/278-1	0.020
357/278-2	0.008
योग	0.857

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव अन्तागढ़ मार्ग के कि.मी. 5/8-10 पर शिवनाथ नदी (मोहारा घाट) सेतु निर्माण पहुंच मार्ग एवं परिवर्तित मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1297/3	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. परियोजना सीपत के रेल पथ निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-भिलाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
37/7	0.64
37/8	0.52
37/10	0.20
37/13	0.25
37/30	0.38
37/31	0.07
37/32	0.06
37/43	0.25
37/44	0.13
37/45	0.07
37/50	0.28
37/51	0.22
37/53	0.20
37/56	0.27
37/57	0.23
37/58	0.18
37/59	0.10
37/61	0.10
37/62	0.11
37/63	0.10
37/68	0.30
37/73	0.41
37/74	0.64
37/105	0.18
37/134	0.18
योग 24	6.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. परियोजना सीपत में राखड़ बांध के डिस्चार्ज चेनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नगोई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.44 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
121	0.35
728/1	1.15
729/2	0.20
729/3, 738	0.26
736	1.20
734/1	0.01
743/1	0.84
743/3	0.06
743/2	0.60
840/2	0.66
840/4	0.20
840/1	0.20
840/6	0.50
840/5	0.03
795/3	0.60
838/2	0.65
839	0.40
838/1	0.45
844	0.80
846	1.08
859/1	1.00
859/3	0.50
856	0.40
857/2	0.15
857/1	0.62
858/1	0.10
891	1.00
892/1	0.05
893	1.53
898/1	0.10
896/1	0.20
895/1	0.07
895/2	0.51
894/1	0.65
994	0.05
894/2	0.05
937/2	0.30
931/1	0.04
1193, 1194	0.90
1268/1	0.40
937/3	0.06
995	1.30
996/2	0.22
996/4	0.40
1012/1	0.10
1012/3	0.90
1013/1	0.25
1013/2	0.25
1013/3	0.25
1014/2	0.15
1024	0.20
1025	0.90
1026	0.13
1192/1	0.10
1265/2	0.10
1195/3	0.22
1195/1, 5	1.00
1196/1	0.75
1196/2	0.10
1249/1, 2	0.55
1264/1	0.11
1264/2	0.41
1265/3	0.43
1267/1	0.10
1267/2	0.25
1185	0.05
1250/2	0.30
1259/1	0.50
1259/3	0.50
योग	29.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी से मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिलासपुर
(ग) नगर/ग्राम-सेंदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
743	0.18
745/1	0.34
951/3	0.48
645/2	0.20
749	0.41
785/2	0.34
785/2	0.01
786	0.10
788	0.38
789	0.22
817	0.26
816/1	0.20
715/2	0.22
825/1, 826/1, 827/1	0.10
825/2, 826/2, 827/2	0.35
815/1	0.12
828	0.35
829	0.01
850/1	0.25
850/2	0.55
2243	0.47
880/2	0.10
880/1	0.27
881/1	0.07
879	0.25
931/2	0.16
931/1	0.25
878	0.23
933	0.20
932	0.23
934/1	0.01
940	0.11
934/3	0.01
939/2	0.01
941	0.03
942	0.63
953	0.53
978/1	0.03
951/5	0.05
951/6	0.23
951/2	0.02
978/3	0.01
979/1	0.26
950/2	0.02
979/2	0.17
995/1	0.08
981/1	0.06
981/3	0.30
982/2	0.04
योग	9.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी से मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-बिलासपुर
(ग) नगर/ग्राम-रमतला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.32 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
92/2	0.16
92/4	0.35

(1)	(2)	(1)	(2)
73	0.14	576	0.05
72/2	0.23	577	0.06
72/3	0.32	575	0.11
71/1	0.05	886	0.85
71/3	0.34	883	0.01
69/1	0.29	885/1	0.01
71/2	0.23	885/2	0.16
77	0.12	887	0.25
76	0.02	1112	0.05
67	0.11	1111	0.33
80	0.02	1110	0.03
54	0.16	1089/2	0.17
81	0.24	1089/1	0.55
82	0.02	1100	0.01
62	0.30	1090/1	0.09
55	0.08	1091	0.23
52	0.46	1092	0.01
83	0.06	1093	0.25
172	0.22	1094	0.36
173	0.19	1095	0.05
174	0.16	1071/1	0.26
195	0.78	1070	0.49
196	0.44	1071/2	0.42
199	0.04	1093	0.07
200/1	0.22	1047	0.05
200/2	0.21	1046/3	0.23
203/2	0.39	1044	0.06
201	0.88	1046/1	0.13
202	0.23	1038/2	0.25
739/5	0.76	1035/2	0.02
739/3	1.25	1038/1	0.26
673	0.25	1037	0.14
675	0.05	1031	0.05
676	0.40	1033/1	0.15
608/1	0.05	1032	0.04
669	0.17	1029	0.01
608/2	0.48	1036	0.03
609	0.24	1028/2	0.23
610	0.12	1028/1	0.27
606	0.66	1027	0.04
1045	0.46	1016	0.02
592	1.26	1017/2	0.57
593/1	0.09	1017/1	0.01
580/1	0.17		
579/1	0.34		
579/2	0.28		

(1)	(2)
674	0.40
योग	22.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी से मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिरकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.37 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
471/1	0.09
471/2	0.14
472	0.39
483/1	0.60
483/2	0.11
482/1 क	0.24
482/2	0.06
481/1	0.06
482/1 ख	0.12
480	0.36
479	0.14
541	0.57
544/2	0.55
539/1	0.21
538	0.24
527/2	0.45
527/5	0.46
529/1 क	0.30
529/1 ख	0.54
603/1	0.11
603/2	0.56
604	0.17
610	0.75
609	0.52
621	0.03
622	0.12
606, 607, 608/1, 608/2	0.56
858	0.23
861	0.39
860	0.51
864/1	1.14
829/1	0.37
826, 827, 828/1	0.23
829/2	0.23
821	0.26
822	0.24
797/2	1.20
797/1	0.50
789/2	0.42
789/3	0.17
913/1	0.11
916/1	0.35
913/2	0.10
913/3	0.01
916/2	0.32
915	0.08
917	0.47
918	0.50
923	0.12
927	0.63
921	0.03
929	0.77
862	0.08
861	0.76
930/1	0.08
861	0.23
930/1	0.34
928/2	0.52
928/1	0.06
933	0.07

(1)	(2)
932	0.59
931	0.19
937/1	0.34
938	0.80
940	0.72
939/2	0.13
982/2	0.35
957/1	0.11
982/1	0.07
981/2	0.70
981/1	0.64
973	0.40
980/1	0.18
979	0.86
977/1	0.17
978/1	0.59
978/3	0.01
978/2	0.53
1013	0.02
योग	27.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी से मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पडिगांव, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
852/5	0.032
852/1 क	0.061
852/1 ङ	0.020
853/3	0.045
853/4	0.045
854/1	0.020
854/4	0.020
855/6	0.024
855/8	0.020
1061/2	0.036
1067/5	0.016
856/1	0.049
1070/1 क	0.024
1071/3	0.049
1071/6	0.020
856/5	0.012
856/6	0.008
1061/4	0.032
1062/8	0.024
1069/2 क	0.012
1069/3 क	0.053
1069/4 क	0.040
1062/9	0.045
1065/1	0.129
1065/3 ख	0.041
1065/3 क	0.129
1067/1	0.032
1068/3	0.032
1068/5	0.028
1070/2 क	0.020
1084/3 क	0.024
1086/1	0.024
1087/1	0.085
1088/1 ग	0.032
1202/1 ख	0.032

(1)	(2)
1202/8 ग	0.012
1202/1 ग	0.028
1202/8 ख	0.012
1202/3	0.008
1202/4	0.020
1202/6	0.065
1202/8 क	0.012
1202/8 घ	0.012
1202/10	0.032
1202/11	0.004
1202/12	0.020
1212/3	0.020
1212/6	0.016
1212/18	0.024
1212/19	0.012
1212/24	0.032
1212/29	0.020
1223/1	0.020
1223/6	0.016
1223/3	0.016
1223/4	0.024
1223/5	0.041
1223/8	0.016
856/11	0.020
1199/2	0.020
योग 58	1.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पुसौर, सूरजगढ़, नदीगांव मार्ग के किमी. 1/2 पर महानदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सूरजगढ़, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.466 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
975/6	0.008
975/4	0.008
901/17, 42/1	0.049
878/1 ग	0.028
868/3	0.036
921/5	0.012
975/1	0.008
869/3	0.045
868/1	0.061
871/1	0.049
872/1	0.032
921/3	0.012
882/6	0.004
979/1	0.012
869/4	0.061
966/8	0.016
979/2	0.004
976/1	0.041
978/1	0.134
922/1	0.081
921/7	0.024
868/4	0.053
877/1	0.020
882/7	0.016
883/1	0.020
858/3	0.061
966/1	0.012
876/3	0.089
876/5	0.008
966/3	0.016
879/4	0.028
901/1 ख	0.073
878/1 ड	0.020

(1)	(2)
901/1 क	0.045
880/4	0.045
963/1	0.004
965/1	0.008
920/1	0.053
872/1	0.032
981	0.012
880/1	0.045
900/1	0.073
975/5	0.008
योग 43	1.466

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण--पुसौर, सूरजगढ़, नदीगांव मार्ग के किमी. 1/2 पर महानदी पर सेतु पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्रमांक 1947/न.ग्रा.नि./खैरा. वियो./2010.--छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट खैरागढ़ निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रतिलिपि अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक् साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची
खैरागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मारूटोला कला, पिपरिया, कांचरी, दिलीपपूर एवं ढोलियाकन्हार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम ढोलियाकन्हार, गाडाडीह, मूतेडा, कमलानारायणपूरा, धनेली एवं देवारीभाठ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम देवारीभाठ, भरदाकला, पेण्ड्रीकला, दपका, अमलीडीह, झोराझोरी एवं दल्लीटोला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम दल्लीटोला, अकरजन, हीरावाही, कोहकाबोड एवं मारूटोलाकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पालिका परिषद्, खैरागढ़

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक/325/स्था.नि./2010.—श्री दयाराम कोर्राम, पार्षद वार्ड क्रमांक 01 नयापारा नगर पंचायत नारायणपुर अपने पार्षद पद से शिक्षाकर्मी वर्ग-03 में चयन होने के कारण इस्तीफा देकर पार्षद पद का इस्तीफा स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया है.

अत: छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की कंडिका 2 (एक) (दो) के तहत आवेदक श्री दयाराम कोर्राम, पार्षद, वार्ड क्रमांक 01, नयापारा, नगर पंचायत, नारायणपुर द्वारा पार्षद पद के लिए सौंपा गया इस्तीफा दिनांक 21-10-2010 से स्वीकृत किया जाता है.

एल. एस. केन,
कलेक्टर.

कृषि (पशुधन विकास) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2010

क्रमांक/887/परिषद्/चुनाव/27/2010.—छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 2005 भाग-2 नियम-तीन (18) (क) के तहत छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रायपुर हेतु निर्वाचन में अधिकतम प्राप्त मतों के क्रमानुसार निम्नांकित चार प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया जाता है :—

अ. क्र. (1)	निर्वाचित अभ्यार्थी का नाम (2)	पता (3)
1.	डॉ. प्रकाश कुमार शिन्दे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	65, सृष्टि गार्डन, एयरटेल आफिस के सामने, रिंग रोड नं. 01, तेलीबांधा, रायपुर.
2.	डॉ. रूपेश सिंह पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	पुलिस लाईन के पास, बौरीपारा, अम्बिकापुर
3.	डॉ. राजेश कुमार दास पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	देव मेडिकल के पास, कसारीडीह, दुर्ग
4.	डॉ. समीर शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	प्रबंधक, शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, जगदलपुर (बस्तर)

डी. के. सियार,
रिटर्निंग आफिसर.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

सेक्टर-3, सी/12 देवेन्द्र नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्रमांक/वि.शा./948/2010.—आम सूचना के जरिए हनफिया मस्जिद मुस्लिम तेली जमात धमतरी तहसील व जिला धमतरी (छ. ग.) की वक्फ सम्पत्ति के संबंध में हितग्राही पक्षकारों सहित सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हनफिया मस्जिद मुस्लिम तेली जमात धमतरी जिला धमतरी (छ. ग.) द्वारा संस्था की शांतिघाट धमतरी स्थित म. प्र. राजपत्र भाग 3 (1) दिनांक 25-08-1989 में दर्ज वक्फ सम्पत्ति भूमि खसरा नं. 2425 एवं 2426 रकबा 0.50 डिसमिल भूमि को संस्था द्वारा शांतिघाट ट्रस्ट धमतरी की भूमि खसरा नं. 1761/2 रकबा 0.35 डिसमिल से अदला बदली किये जाने हेतु इकरारनामा किया गया है एवं उक्त भूमि की रजिस्ट्री किये जाने हेतु वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत हनफिया मस्जिद मुस्लिम तेली जमात धमतरी जिला धमतरी (छ. ग.) द्वारा बोर्ड से अनुमति चाही गई है.

अत: इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर रायपुर को दिनांक 23-12-2010 तक अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 23-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

एस. ए. फारूकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्रमांक/आब./बकाया/2010/4032.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला-रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाये गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र. (1)	रा.मा.क्र. (2)	बकायादार का नाम (3)	नाम दुकान (4)	बकाया वर्ष (5)	बकाया राशि (6)
1	10/बी. 96/2003-04	श्री कृष्ण कुमार उज्जवने वल्द नारायण राव उज्जवने, निवासी-भाठागांव बस्ती रायपुर, (2) नेहरू शाला के पास रोड भण्डारा (महाराष्ट्र)	विदेशी मदिरा दुकान गुढ़ियारी/गोगांव	2002-03	2611185/-

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्रमांक/आब./बकाया/2010/4070.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला-रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाये गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल सम्पत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र. (1)	रा.मा.क्र. (2)	बकायादार का नाम (3)	नाम दुकान (4)	बकाया वर्ष (5)	बकाया राशि (6)
1	1/बी. 96/2003-04	श्री रामदुलारे पटेल वल्द ललीता पटेल, निवासी-नूरानी चौक, राजातालाब रायपुर (छ. ग.)	विदेशी मदिरा दुकान फिंगेश्वर	2002-03	100383/-

वाय. मेश्राम,
अतिरिक्त तहसीलदार एवं
सहायक आयुक्त आबकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th November 2010

No. 325/L.G./2010/II-3-10/2007.—Shri Sharad Gupta, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 09 days from 16-12-2010 to 24-12-2010 and permission to suffix holidays of 25th & 26th December, 2010 (Christmas & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 16th December, 2010 till before the office hours on 27th December, 2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before preceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 26th November 2010

No. 326/L.G./2010/II-2-15/2007.—Smt. Vimla Singh Kapoor, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 09 days from 06-12-2010 to 14-12-2010 and permission to prefix holiday of 05-12-2010 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 05-12-2010 till before the Court hours on 15-12-2010.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before preceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Kapoor, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 238 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2010

No. 327/L.G./2010/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 13 days from 20-12-2010 to 01-01-2011 and permission to prefix holidays of 17th to 19th December, 2010 (Moharram, 3rd Saturday & Sunday respectively) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before preceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 238 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 3rd December 2010

No. 330/L.G./2010/II-3-15/2007.—Shri R. P. Sharma, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 12 days from 20-12-2010 to 31-12-2010 and permission to prefix holidays from 17th to 19th December, 2010 (Moharram, 3rd Saturday & Sunday respectively) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before preceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+03 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.